राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना

वाद संख्या–74 / 2023

धीरज कुमार साह बनाम् प्रकाश कुमार शर्मा।

यह वाद धीरज कुमार साह, पिता–श्री नारायण साह, पता–वार्ड संख्या–05, नगर परिषद्, झंझारपुर, पो0+थाना–झंझारपुर, जिला–मधुबनी, पिन–847404 द्वारा श्री प्रकाश कुमार शर्मा, पिता– श्री चन्देश्वर ठाकुर, पता– पता–वार्ड संख्या–05, नगर परिषद्, झंझारपुर, पो0+थाना–झंझारपुर, जिला–मधुबनी, पिन–847404(वर्तमान वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–05, नगर परिषद्, झंझारपुर,) के विरुद्व बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान के होने के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–05, नगर परिषद्, झंझारपुर, के पद से पदमुक्त करने हेतु लाया गया है।

2. वाद की सुनवाई के क्रम में वादी श्री धीरज कुमार साह का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री शिव कुमार प्रभाकर एवं श्री रूपेश कुमार तिवारी द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी श्री प्रकाश कुमार शर्मा की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्री संतोष कुमार , अपर समाहर्त्ता(आपदा प्रबंधन), मधुबनी को प्राधिकृत किया गया।

3. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि विचाराधीन वाद बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के उल्लंघन का मामला है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी को दो से अधिक जीवित संतान है, जिसमें से अंतिम संतान का जन्म Cut of date- 04-04-2008 के उपरांत हुआ है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उन्होंनें इस तथ्य को छिपाया तथा नामांकन–पत्र में गलत सूचना दर्ज करते हुये, अपने संतानों की संख्या दो अंकित की है। साथ ही साथ नामांकन–पत्र के साथ दिये जाने वाला शपथ–पत्र भी उनके द्वारा गलत दिया गया है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके द्वारा संवीक्षा के समय भी इसके विरूद्ध आपत्ति दर्ज की गयी थी।

अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा वाद–पत्र के साथ संलग्न किये गये, अभिलेखों का अवलोकन कराया गया। **सर्वप्रथम उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, झंझारपुर के आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या–141 के टीकाकरण पंजी के अभिप्रमाणित छायाप्रति का अवलोकन कराया गया, जिसमें दिव्यांशु कुमार की जन्मतिथि दिनांक–09.01.2023 अंकित है।** पिता के नाम के कॉलम में दिव्यांशु नाम के सम्मुख प्रकाश कुमार शर्मा दर्ज है। आगे उनके द्वारा कृष्णा हेल्थ केयर(प्राईवेट नर्सिंग होम) द्वारा दिये गये Discharge Slip एवं नर्सिंग होम के भर्त्ती पंजी के छायाप्रति का अवलोकन कराया गया, हालाँकि इन दोनों अभिलेखों से कुछ भी प्रमाणित नहीं है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा अपने **अंतिम संतान का टीकाकरण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर भी**

कराया गया है, जिसके अभिलेख उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत प्राप्त किया गया है। इस अभिलेख में भी दिव्यांशु कुमार की जन्मतिथि–09.01.2023 माता का नाम रेणु कुमारी एवं पिता का नाम प्रकाश शर्मा अंकित है। इस संबंध में उनके द्वारा दिनांक–09.02.2023, दिनांक–17.04.2023 एवं दिनांक–08.06.2023 के टीकाकरण पंजी के अभिप्रमाणित छायाप्रति का अवलोकन आयोग को कराया गया।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा अपने तीसरे संतान को अपने भाई के संतान के रूप में निबंधित कराने का प्रयास किया गया था, परन्तु निबंधक जन्म –मृत्यु, नगर परिषद्, झंझारपुर द्वारा आवेदन को रद्द कर दिया गया।

आगे उनके द्वारा प्रतिवादी के जवाब पर अपना पक्ष रखा गया तथा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी का प्रथम तर्क यह है कि यह वाद इस न्यायिक फोरम पर Maintainable नहीं है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि Maintainability के लिये माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा रजनी कुमारी वाद (L.P.A. No. 566/2017) में दो Parameter निर्धारित किया गया है, जिसमें पहला Parameter यह है कि Clear and Clenching Evidence होना आवश्यक है तथा दूसरा Parameter यह है कि मामला Purely Election Dispute नहीं होना चाहिए। उनके द्वारा दावा किया गया है कि यह वाद दोनों Parameter पर खरा उतरता है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि वाद की विषय–वस्तु निरर्हता से संबंधित है तथा उपलब्ध साक्ष्य Clear and Clenching है। अतः प्रतिवादी का यह तर्क सही नहीं है।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा मामले को Disputed बनाने के लिये कृष्णा हेल्थ केयर(प्राईवेट नर्सिंग होम) के Director एवं Manager का Signature बदल कर अभिलेख प्रस्तुत किया है।

उनके द्वारा आयोग बताया गया कि जिला प्रशासन के प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है कि उनका दावा सही है। अंत में उनके द्वारा प्रतिवादी को निरर्हित करने का अनुरोध किया गया।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादी के उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये, आयोग को बताया गया कि यह वाद आयोग में Maintainable नहीं है, क्योंकि वादी द्वारा कोई भी ऐसा Unimpeachable साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रमाणित हो सकें कि दिव्यांशु कुमार की जन्मतिथि क्या है तथा इनके माता–पिता कौन है ? उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि वाद का प्रारंभ आँगनबाड़ी केन्द्र के टीकाकरण पंजी पर आधारित है, जो कि किसी बच्चे की जन्मतिथि का एवं उसके माता–पिता के पहचान का निर्विवाद साक्ष्य नहीं है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि झंझारपुर के आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या–141 के सेविका द्वारा यह सूचना दी गई है कि आँगनबाड़ी केन्द्र पर टीकाकरण के लिये आने वाले शिशुओं के जन्मतिथि या उनके माता–पिता के संबंध में प्रविष्टि शिशु को लाने वाले व्यक्तियों के द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर दर्ज की जाती है। उनके पास उनके जन्मतिथि तथा माता–पिता के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि जिस आधार

पर वाद प्रारंभ किया गया है, वह आधार निर्विवाद सूचनाओं पर आधारित नहीं है, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि वाद Unimpeachable Material पर आधारित है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी द्वारा दिये गये साक्ष्य सहायक साक्ष्य के रूप में प्रयोग में लाये जा सकते हैं, जबकि बच्चे के जन्म एवं माता–पिता के संबंध में निर्विवाद साक्ष्य प्राप्त हो।

आगे उनके द्वारा बताया गया कि वादी द्वारा जिस कृष्णा हेल्थ केयर(प्राईवेट नर्सिंग होम) के Discharge Slip को सही बताया जा रहा है, वह वास्तव में सही नहीं है। उनके द्वारा अपने जवाब के साथ संलग्न किये गये, Discharge Slip को सही बताया गया तथा अनुरोध किया गया कि आयोग चाहे, तो इसके सत्यता की पुष्टि करा सकता है।

5. जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा सत्यापन–सह–जॉच प्रतिवेदन पत्रांक–2909/जि0निर्वा0, दिनांक–25.07.2024 एवं पत्रांक–63/जि0निर्वा0, दिनांक–27.01.2025 द्वारा उपलब्ध कराया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में अंकित प्रमुख तथ्य निम्नवत् हैः–

"उपरोक्त वाद संख्या–74/2023 धीरज कुमार साह बनाम प्रकाश कुमार शर्मा, जो श्री प्रकाश कुमार शर्मा द्वारा दिनांक–04.04.2008 के बाद दो से अधिक संतान संबंधी तथ्य छुपाने से संबंधित की जाँच निर्धारित SOP के तहत करते हुए जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–99, 22.07.2024 दिये गये साक्ष्य/बयान, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, झंझारपुर द्वारा जन्म प्रमाण पत्र अस्वीकृत करने तथा आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या–141 की सेविका द्वारा दिए गये साक्ष्य एवं शिकायतकर्त्ता द्वारा कृष्णा हेल्थ केयर, झंझारपुर का डिस्चार्ड स्लीप नं0–32 इत्यादि के सत्यापन के आधार पर जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। उनके द्वारा जाँच के क्रम में शिकायतकर्त्ता द्वारा दिए गए साक्ष्य का पुष्टि होना तथा प्रतिवादी प्रकाश कुमार शर्मा के तथ्य की पुष्टि नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है। सभ संबंधित साक्ष्य की जाँच जाँचकर्त्ता पदाधिकारी के द्वारा स्वयं किया जाना प्रतिवेदित है। अतः जाँच प्रतिवेदन के आलोक में वाद संख्या–74/2023 धीरज कुमार साह बनाम प्रकाश कुमार शर्मा में धीरज कुमार साह द्वारा लगाये गये आरोप की पुष्टि होती है तथा प्रतिवादी प्रकाश कुमार शर्मा के दावे की पुष्टि नहीं होती है।" (पत्रांक–2909/ जि0निर्वा0, दिनांक–25.07.2024)प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कृष्णा हेल्थ केयर के Discharge slipe के सत्यापन का अनुरोध किया गया था जिसके आलोक में प्रतिवेदन निम्नवत् है–

"अपर समाहर्त्ता (लो0शि0नि0) द्वारा अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि कृष्णा हेल्थ केयर द्वारा पूर्व में अपने लेटर पैड पर उपलब्ध कराये गया प्रतिवेदन डाक के माध्यम से उनके कार्यालय को प्राप्त हुआ था। साथ ही अस्पताल में संधारित अभिलेख से डिस्चार्ज स्लीप की दिनांक–20.07.2024 को स्थलीय सत्यापन में डिस्चार्ज स्लीप नं0–32 सही पाया गया था। जिसके अनुसार रेणु देवी, पति–प्रकाश कुमार शर्मा के बच्चे का जन्म दिनांक–09.01.2023 को कृष्णा हेल्थ केयर लंगरा चौक, झंझारपुर, नगर परिषद, झंझारपुर में हुआ है। जबकि वर्त्तमान में

कृष्णा हेल्थ केयर द्वारा भिन्न–भिन्न हस्ताक्षर से प्रतिवेदन समर्पित किया जा रहा है। तथा जाँच में अपेक्षित सहयोग नहीं किया जा रहा है। उनके द्वारा यह भी प्रतिवेदत किया गया है कि दिव्यांशु कुमार के जन्म प्रमाण पत्र संबंधी आवेदन को संलग्न डिस्चार्ज स्लीप की कृष्णा हेल्थ केयर द्वारा सम्पुष्टि नहीं किये जाने के कारण प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी–सह–रजिस्टार जन्म–मृत्यु, नगर परिषद्, झंझारपुर द्वारा पूर्व में अस्वीकृत किया गया है। कृष्णा हेल्थ केयर, झंझारपुर द्वारा अलग–अलग हस्ताक्षर प्रतिवेदन समर्पित कर तथ्य को छुपाने की कोशिश की जा रही है तथा वर्त्तमान में जाँच हेतु अस्पताल प्रबंधन का कार्यालय में उपस्थित नही हाने से अस्पताल प्रबंधन की भूमिका संदेहास्पद प्रतीत होता है। "(पत्रांक–63/जि0निर्वा0, दिनांक–27.01.2025)

6. आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, मधुबनी का प्रतिवेदन तथा संदर्भित न्याय–निर्णयों का अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत है:–

"आयोग द्वारा यह पाया गया कि इस वाद का मूल कारण वादी का यह दावा है कि श्री प्रकाश शर्मा, वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–05, नगर परिषद्, झंझारपुर द्वारा दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतानों के कारण बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(ड) के तहत चुनाव पूर्व अयोग्यता होने के बावजूद गलत शपथ–पत्र एवं सूचना के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–05, नगर परिषद्, झंझारपुर के पद पर निर्वाचित हो गए हैं।"

आयोग द्वारा जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर वादी द्वारा उपलब्ध कराये गये, साक्ष्यों का सही पाया गया। इस प्रकार वादी का दावा कि प्रतिवादी को Cut of date 04-04-2008 के उपरांत तीसरा संतान दिव्यांशु कुमार, जन्मतिथि–09.01.2023, हुआ है, सही पाया गया। प्रतिवादी 02 संतानों सिद्धी कुमारी एवं अंशु कुमारी को स्वीकार करते है। स्वयं उनके द्वारा नामांकन–पत्र में संतान वाले कॉलम में अपने संतानों की संख्या 02 (पुत्री) अंकित किया गया है। वादी द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या–141, एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, झंझारपुर, मधुबनी के टीकाकरण पंजी की अभिप्रमाणित(Medical Officer incharge PHC, Jhanjharpur के द्वारा) प्रति उपलब्ध करायी गयी है, जिसे बाद में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा सही पाया गया है। अतः वादी का दावा Public Document, अर्थात् निर्विवाद साक्ष्य पर आधारित है।

प्रतिवादी द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी अभिलेखों को सत्यापन में गलत पाया गया है, अर्थात् उनके द्वारा अपने बचाव में फर्जी अभिलेखों का सहारा लिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा इस संबंध में अनेकों न्याय–निर्णयों में स्थापित किया गया है कि:–"Fraud Vitiates everything." आयोग प्रतिवादी के इस तर्क से भी सहमत नहीं है कि यह

वाद आयोग में Maintainable नहीं है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पूर्णपीठ द्वारा रजनी कुमारी वाद (L.P.A. No. 566 of 2017) में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18 के अधीन आने वाले अयोग्यता संबंधी मामलों की सुनवाई की पूर्ण अधिकारिता आयोग में निहित है।

आयोग वादी के इस तर्क से भी सहमत नहीं है कि वाद की सुनवाई हेतु वाद–पत्र में अकाट्य साक्ष्य (Unimpeachable Evidence) उपलब्ध नहीं है, क्योंकि टीकाकरण केन्द्र पर उपलब्ध अभिलेख Public Documents है, जो प्राथमिक साक्ष्य के रूप में अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं मजबूत साक्ष्य माने जाते है। इसका कारण यह है कि टीकाकरण पंजी में अंकित सूचनाएँ स्वयं नवजात/अबोध शिशुओं के माता–पिता अथवा अत्यन्त निकट के अभिभावक द्वारा अंकित करायी जाती है।

आयोग द्वारा कृष्णा हेल्थ केयर, झंझारपुर के परस्पर विरोधाभाषी Discharge Slip को न तो दावें के समर्थन में महत्वपूर्ण अभिलेख मानता है और न ही दावें के विरोध में, क्योंकि कृष्णा हेल्थ केयर, झंझारपुर एक निजी संस्था है, जिसकी सत्यनिष्ठा तथा कानून के सम्मान एवं सत्य को उजागर करने में असहयोग की स्थिति जाँच के समय परिलक्षित हो चुकी है।

(क) उपर्युक्त सभी स्थिति से स्पष्ट है कि श्री प्रकाश कुमार शर्मा को दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान रहने के कारण चुनाव पूर्व अयोग्यता का धारण संवीक्षा की तिथि को करते थे, इसके बावजूद वे तथ्यों को छुपाकर गलत शपथ–पत्र के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–05, नगर परिषद्, झंझारपुर, के पद पर निर्वाचित होने में कामयाब रहे।

इस प्रकार बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत अर्हता प्राप्त नहीं रहने के कारण प्रतिवादी श्री प्रकाश कुमार शर्मा को बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) सहपठित धारा–18(2) तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन अयोग्य/निरर्हित घोषित करते हुए, तत्काल प्रभाव से वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–05, नगर परिषद्, झंझारपुर के पद से पदमुक्त किया जाता है। इस आदेश के साथ ही वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–05, नगर परिषद्, झंझारपुर का पद रिक्त समझा जाएगा तथा नियमानुसार इस पर निर्वाचन की कार्रवाई सम्पन्न की जाएगी।

(ख) जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा श्री प्रकाश कुमार शर्मा के विरूद्ध गलत हलफनामा एवं तथ्य छुपाने हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–447 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार विधिक कार्रवाई हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) एवं जिला दण्डाधिकारी, मधुबनी के रूप में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग किया जाना वांछनीय है।

(ग) जिला पदाधिकारी, मधुबनी तथा शल्य चिकित्सा पदाधिकारी(असैनिक), जिला–मधुबनी से यह आशा की जाती है कि न्यायालय संबंधी मामलों में जाली साक्ष्यों को गढ़ने तथा न्याय कार्यों में असहयोग एवं बाधा के प्रमाणित आरोप में कृष्णा हेल्थ केयर, झंझारपुर के Proprietor एवं

Manager पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जायेगी।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
11.03.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
11.03.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–74/2023 पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपि–सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अवर सचिव

ज्ञापांक -74/2023 - 698 पटना, दिनांक - 11.03.2025

पदाधिकारी(असैनिक), जिला–**मधुबनी**/उप निर्वाचन पदाधिकारी **मधुबनी** सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उप निर्वाचन पदाधिकारी **मधुबनी** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

11/3/25
अवर सचिव